न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री हनुमान सहाय मीना, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल.आर. संख्या 46/2016/ जिला–अजमेर (2016/00010)

श्रीमती फूल कंवर पुत्री स्व0 श्री कुन्दनमल सोमानी धर्मपत्नी श्री श्याम सुन्दर मूंदड़ा, जाति माहेश्वरी आयु 58 वर्ष निवासी ''उमंग'' जयश्री गोपाल मार्ग, बस स्टेण्ड के पास, ग्राम पालोदा तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा।

.... अपीलांट

बनाम

1. श्री संदीप सोमानी पुत्र स्व0 श्री वासुदेव सोमानी, जाति माहेश्वरी, निवासी बापू बाजार, बिजयनगर जिला अजमेर।
2. महेन्द्र कुमार पुत्र श्री नौरतमल जैन पोखरना, निवासी सथाना बाजार, बिजयनगर जिला अजमेर।
3. अरविन्द कुमार पुत्र श्री नौरतमल जैन पोखरना निवासी सथाना बाजार बिजयनगर जिला अजमेर।

............प्रारूपिक रेस्पोन्डेन्ट्स

4. श्रीमती मान कंवर पुत्री स्व0 श्री कुन्दनमल सोमानी धर्मपत्नी श्री पदीप कुमार हेड़ा जाति माहेश्वरी निवासी 369 हाउसिंग बोर्ड, शास्त्री नगर, जयपुर।
5. श्रीमती सुनिता उर्फ सुशीला पुत्री स्व0 श्री कुन्दनमल सोमानी धर्म पत्नी डॉ ज्योति असावा निवासी प्लॉट नम्बर 136 ए माधव नगर, दैनिक भास्कर के सामने, माकड़वाली रोड़, अजमेर
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिजयनगर, तहसील बिजयनगर जिला अजमेर।
7. ग्राम पंचायत सथाना जरिये सरपंच तहसील बिजयनगर जिला अजमेर।

.... रेस्पोन्डेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजथान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व
निर्णय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा दिनांक 12–03–2016
अपील संख्या 04/2013 बउनवान श्रीमति फूलकंवर
बनाम संदीप व अन्य

उपस्थित : 1. श्री जी.एस.लखावत् अभिभाषक अपीलांट
2. श्री अजीत लोढ़ा, अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट् संख्या 2 व 3

निर्णय

दिनांक : 4—4—2018

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम सथाना तहसील मसूदा में स्थित विवादग्रस्त आराजियात खसरा नम्बर 3527 रकबा 14 बीघा 15 बिस्वा की खातेदारी की भूमि में श्री कुन्दनमल पुत्र स्व0 श्री भूरालाल सोमानी का 1/3 हिस्सा था। कुन्दनमल सोमानी का दिनांक 1—11—2001 को देहान्त हो गया श्री कुन्दनमल जी के दो पुत्र श्री वासुदेव व ओम प्रकाश तथा तीन पुत्रियां श्रीमती फूलकंवर, श्रीमती मान कंवर व श्रीमती सुशीला उर्फ सुनिता है। श्री ओम प्रकाश को श्री मोतीलाल जी ने गोद ले लिया। इस प्रकार विवादग्रस्त आराजियात में श्री वासुदेव व तीनों पुत्रियां प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी के बावजूद सरपंच ग्राम पंचायत सथाना से मिलीभगत कर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा नामान्तरकरण संख्या 1607 अपने नाम तस्दीक करवा लिया सरपंच ग्राम पंचायत ने नामान्तरकरण तस्दीक करने पूर्व अपीलांट व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 व 5 को कोई नोटिस नहीं दिया एवं न ही सुनवाई का अवसर दिया गया। राजस्व अभिलेखों में हुए गलत इन्द्राजात का अनुचित लाभ उठाते हुए वासुदेव ने अपने नाम दर्ज उक्त वर्णित भूमि बाबत एक विक्रय पत्र दिनांक 6—11—2003 रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 व 3 के पक्ष में तहरीर कर पंजीकृत करा दिया जिसके आधार पर सरपंच ग्राम पंचात द्वारा नामान्तरकरण संख्या 1621 दिनांक 20—12—2003 को क्रेतागण रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 व 3 के पक्ष में तस्दीक कर दिया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलांट द्वारा एक अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के समक्ष की जिसे उन्होंने मियाद अधिनियम की धारा—5 व प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 को स्वीकार योग्य ना होना मानते हुए अपीलांट की अपील आदेश दिनांक 12—3—2016 से खारिज कर अपीलार्थीया को वापस लौटा दी। उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह द्वितीय अपील इस न्यायलय में प्रस्तुत की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये तथा संबंधित अभिलेख तलब किया गया। दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान तर्क दिये कि विवादग्रस्त आराजियात के खातेदार कुन्दनमल जी का स्वर्गवास हो जाने के पश्चात वासुदेव व तीनों पुत्रियां प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी होने की वजह से 1/4—1/4 हिस्से के उत्तराधिकारी है। वासुदेव ने अपने आपको ही कुन्दनमल जी का एक मात्र उत्तराधिकारी होना अंकित करते हुए सरपंच ग्राम पंचायत सथाना से मिलीभगत कर नामान्तरकरण संख्या 1607 अपने नाम तस्दीक करवा लिया। राजस्व अभिलेखों में हुए गलत इन्द्राजात का अनुचित लाभ उठाते हुए वासुदेव ने अपने नाम दर्ज उक्त वर्णित भूमि बाबत एक विक्रय पत्र दिनांक 6—11—2003 रेस्पोन्डेन्ट

संख्या 2 व 3 के पक्ष में तहरीर कर पंजीकृत करा दिया जिसके आधार पर सरपंच ग्राम पंचात द्वारा नामान्तरकरण संख्या 1621 दिनांक 20–12–2003 को क्रेतागण रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 व 3 के पक्ष में तस्दीक कर दिया जिसकी अपीलार्थीयां को किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं हो सकी। श्री कुन्दनमल जी का स्वर्गवास हो जाने के पश्चात वासुदेव अपीलार्थीया को एवं रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 व 5 को यह आश्वासन देता रहा कि वह अपनी ओर से विवादग्रस्त भूमि की उचित व्यवस्था कर रहा है तथा उन्हें उनके हिस्से के अनुरूप राशि अदा करता रहा इसलिए अपीलार्थीयां को राजस्व भू–अभिलेखों में हो रहे इन्द्राजात की जानकारी करने की आवश्यकता उत्पन्न नहीं हुई। वासुदेव पुत्र श्री कुन्दनमल सोमानी का दिनांक 10–8–2011 को देहान्त हो गया तथा वासुदेव की पत्नी श्रीमती सन्तोष का पूर्व में ही देहान्त हो गया रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 संदीप स्व0 वासुदेव का पुत्र है। श्री वासुदेव का स्वर्गवास हो जाने पर जब अपीलार्थीया ने रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 संदीप से अपने हिस्से की राशि उन्हें अदा करने को कहा तो पहले तो उन्हें आश्वासन देता रहा परन्तु जब दिनांक 25–8–2013 को अपीलार्थीया व अपीलार्थीया के पति श्री श्यामसुन्दर ने रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 श्री संदीप पर दबाव डालकर कहा तो उसने जाहिर किया कि आपका विवादग्रस्त आराजियात में किसी प्रकार का कोई हक अधिकार नहीं है। श्री वासुदेव ने अपने जीवनकाल में ही उक्त भूमि महेन्द्र कुमार व श्री अरसिन्द कुमार पुत्र श्री नौरतमल जैन पोखरना को विक्रय कर दी। श्री कुन्दनमल की विरासत के उपरोक्त वर्णित नामान्तरकरण संख्या 1607 ग्राम पंचायत सथाना दिनांक 5–9–2003 की जानकारी होते ही अपीलार्थीया ने उक्त नामान्तरकरण की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के समक्ष जानकारी के दिन से अन्दर मियाद अपील मय आवेदन अन्तर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम एवं एक अन्य आवेदन अपील स्वीकृति हेतु धारा 96 जा0दी0 का प्रस्तुत किया जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों की बहस सुनकर दिनांक 12–3–2016 को अपने आदेश द्वारा अपीलार्थीया द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील के साथ प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं आवेदन अन्तर्गत धारा 96 जा0दी0 को स्वीकार योग्य ना होना मानते हुए खारिज करते हुए अपीलार्थीया की अपील को वापस लौटाये जाने का अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि जहां प्रभावित व्यक्ति को नोटिस एवं सुनवाई का मौका दिये बिना कोईआदेश पारित किया जाता है तो ऐसे आदेश के विरूद्ध अपील हेतु मियाद की कोई समय सीमा नहीं होती है ऐसे आदेश के विरूद्ध कभी भी अपील की जा सकती है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों के विरूद्ध अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो विधिविरूद्ध होने से निरस्त योग्य है।

उनका यह भी तर्क है कि विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि किसी भी पक्षकार को उसके अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है। अपीलार्थीया अपने पिता कुन्दनमल की उत्तराधिकारी है जिसे उसके अधिकारों से तकनीकी आधार पर वंचित नहीं किया जा सकता है परन्तु फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीया की अपील को निरस्त कर रेस्पोन्डेन्ट को अनुचित लाभ पहुंचाने के

उद्देश्य मात्र से ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है। श्री वासुदेव ने दिनांक 06–11–2003 को जो विक्रय पत्र रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 व 3 के पक्ष में तहरीर किये है उनसे विवादग्रस्त आराजियात पर अपीलार्थीया के अधिकार किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होते है। अपीलार्थीया अपने पिता की खातेदारी की भूमि में अपने वैद्य कानूनी अधिकरों को प्राप्त करने की अधिकारी है परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीया को उसके अधिकारों से वंचित किये जाने का आदेश पारित कर दिया। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 12–3–2016 एवं सरपंच ग्राम पंचायत सथाना द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1607 दिनांक 5–9–2003 निरस्त कर श्री कुन्दनमल पुत्र श्री भूरालाल सोमानी की विरासत का नामान्तरकरण उनके प्रथम श्रेणी के सभी कानूनी उत्तराधिकारियों के नाम बहिस्सा बराबर तस्दीक किये जाने के आदेश पारित करने हेतु निवेदन किया गया। अपीलांट अभिभाषक ने अपने कथनों के समर्थन में आर.बी.जे. 2016 पेज 547, आर.बी.जे. 2016 (23) पेज 548, 549, 550,551,552,553, आर.बी.जे. 2015 (22) पेज 482,483,484,485,486, आर.बी.जे. 2016 (16) पेज 10,11,12,13, आर.बी.जे. 2007 (14) पेज 263,264,265,266, 267 की नजीरे प्रस्तुत कर इस ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया गया।

अपीलांट अभिभाषक की उक्त बहस का जवाब देते हुए अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 व 3 ने तर्क दिया कि विवादग्रस्त आराजियात में से अपने हिस्से की आराजियात को श्री वासुदेव ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 व 3 को बेचान की थी जिसके आधार पर सरपंच ग्राम पंचायत सथाना द्वारा नामान्तकरण संख्या 1621 दिनांक 20–12–2003 तस्दीक किया गया है। विवादग्रस्त आराजियात खसरा नम्बर 3527 रकबा 14 बीघा 15 बिस्वा खातेदारी की श्री कुन्दनमल सोमानी पुत्र भूरालाल की थी कुन्दनमल सोमानी का दिनांक 1–11–2001 को देहान्त होने पर विवादग्रस्त आराजियत के मालिक वासुदेव हो गये जिन्होंने अपने हिस्से की आराजियातका बेचान रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 व 3 को किया है जिसमें अपीलार्थीया का कोई हक व हिस्सा निहित नहीं है तथा अपीलार्थीया शादी के बाद से ही अपने पति के साथ बाहर रह रही है। विवादग्रस्त आराजियात पर उसका भौतिक रूप से कब्जा भी निहित नहीं है। अपीलार्थीया ने लगभग 10 वर्ष बाद गैर कानूनी रूप से अपील की है जो मियाद बाहर होने से निरस्त योग्य है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 12–3–2016 विधिसम्मत है। अतः अपीलांट की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैंने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी तथा तथा सम्बन्धित अभिलेख का अवलोकन व अध्ययन किया जिससे स्पष्ट होता है कि ग्राम सथाना तहसील मसूदा में स्थित विवादग्रस्त आराजियात खसरा नम्बर 3527 रकबा 14 बीघा 15 बिस्वा के मूल खातेदार श्री कुन्दनमल पुत्र स्व0 श्री भूरालाल सोमानी का 1/3 हिस्सा था। कुन्दनमल सोमानी का दिनांक 1–11–2001 को देहान्त हो गया

श्री कुन्दनमल जी के दो पुत्र श्री वासुदेव व ओम प्रकाश तथा तीन पुत्रियां श्रीमती फूलकंवर, श्रीमती मान कंवर व श्रीमती सुशीला उर्फ सुनिता है। श्री ओम प्रकाश श्री मोतीलाल जी के गोद चला गया। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि किसी पुत्र के गोद चले जाने से उसे अपने पिता की सम्पत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है। सरपंच ग्राम पंचायत सथाना द्वारा श्री कुन्दनमल सोमानी पुत्र भूरालाल के स्वर्गवास के पश्चात कानूनन उनकी तीन पुत्रियां क्रमशः अपीलार्थीया श्रीमती फूल कंवर पुत्री स्व0 श्री कुन्दनमल सोमानी पत्नी श्री श्यामसुन्दर मून्दड़ा एवं रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 श्रीमती मानकंवर पुत्री स्व0 श्री कुन्दनमल सोमानी धर्म पत्नी श्री प्रदीप कुमार हेड़ा एवं रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5 श्रीमती सुनिता उर्फ सुशीला पुत्री स्व0 श्री कुन्दनमल सोमानी धर्म पत्नी डॉ ज्योति असावा है जो कि विवाहित है, का नाम भी विरासतन तस्दीक किया जाना चाहिए था। सरपंच ग्राम पंचायत सथाना द्वारा विवादग्रस्त आराजियात के मूल खातेदार श्री कुन्दनमल पुत्र स्व0 श्री भूरालाल सोमानी की मृत्यु के पश्चात फौती का नामान्तरकरण तस्दीक करते समय विधिक वारिसान की जांच किये बिना नामान्तरकरण केवल श्री वासुदेव के नाम ही तस्दीक किया गया। सरपंच ग्राम पंचायत सथाना द्वारा विधिक वारिसानों की जांच किये बिना नामान्तरकरण संख्या 1607 दिनांक 5—9—2003 तस्दीक किया है जो विधिसम्मत प्रतीत नहीं होता है। अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा द्वारा अपीलांट श्रीमती फूलकंवर व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 व 5 श्री कुन्दनमल सोमानी की विधिक व जायन्दा पुत्रियां है इस बाबत कोई जांच किये बिना केवल मियाद बिन्दु एवं धारा 96 जा0दी0 पर ही अपीलाधीन पर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। अपीलांट व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 व 5 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अन्तर्गत प्रथम श्रेणी की वारिस है तथा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा—4 के अनुसार हिन्दू पुरूष की मृत्यु पश्चात उसकी विधवा, पुत्रियां एवं पुत्र उसकी सम्पत्ति के बराबर हिस्सेदार रहेगें। इसी प्रकार उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की धारा 33, 34 एवं 59 के अनुसार विवादग्रस्त आराजियात के भूधारक की मृत्यु होने पर उसके जाईन्दा पुत्र, पुत्री एवं विधवा तथा विधवा की मृत्यु पश्चात उसके हक की सम्पत्ति उसके पुत्र एवं पुत्रियों में बहिस्सा बराबर आयेगी। इसके अलावा यह विधि मान्य तथ्य है कि नामान्तरकरण कार्यवाही एक फिस्कल प्रोसिडिंग है जिससे किसी के हक—हकूकों का निर्धारण नहीं किया जा सकता। अधिनस्थ न्यायालय को विवादग्रस्त आराजियात के श्री कुन्दनमल सोमानी पुत्र भूरालाल के विधिक वारिसानों की जांच कर विधिसम्मत निर्णय पारित करना चाहिए था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा केवल मियाद बिन्दु एवं धारा 96 जा0दी0 प्रार्थना पत्र पर ही अपना निर्णय पारित कर दिया जो उचित नहीं है। सरपंच ग्राम पंचायत सथाना द्वारा अपीलांट एवं रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 व 5 को बिना सुनवाई व साक्ष्य का अवसर दिये ही आक्षेपित नामान्तरकरण आदेश पारित कर दिया ऐसे आदेशों को चुनौती देने की कानूनन कोई समयावधि नहीं है अतः मियाद के बिन्दु पर नरम रूख अपनाया जाना चाहिए था। अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा द्वारा उक्त महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दुओं को नजरअन्दाज कर विधिविरूद्ध अपीलाधीन आदेश दिनांक 12—3—2016 पारित किया है जो निरस्त योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विशलेषण के आधार पर अपीलांट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय न्यायालय (उपखण्ड अधिकारी, मसूदा) द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.3.2016 अन्तर्गत अपील संख्या 05/2013 बउनवान श्रीमती फूल कंवर बनाम संदीप सोमानी व अन्य तथा सरपंच ग्राम पंचायत सथाना द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1607 दिनांक 05—09—2003 विधिविरूद्ध होने से निरस्त किया जाता है और प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, मसूदा को प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि वे कुन्दनमल सोमानी के विधिक वारिसानों को विधिवत सुनवाई का अवसर देकर कुन्दनमल सोमानी पुत्र भूरालाल की विवादग्रस्त आराजियात की मौके पर कब्जे एवं दस्तावेजी साक्ष्यों की विस्तृत जांच कर गुणावगुण पर विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

(हनुमान सहाय मीना)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर